



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

उत्तर प्रदेश फार्मैसी काउंसिल के अंतर्गत फार्मासिस्टों के पंजीकरण हेतु आवेदन करने संबंधी दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन पत्र में * से चिन्हित फील्डें भरना अनिवार्य हैं।

चरण 1 – पंजीकरण करें

- अपने वेब ब्राउज़र में <http://apps.uppc.in/online/Account/Registration> खोलें एवं संबंधित फील्डों में आदरसूचक, प्रथम नाम, उपनाम, कुलनाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर भरकर पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करें।
- तदोपरांत, आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर एक **One Time Password** (ओटीपी) प्रेषित होगा। अगले चरण पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें एवं अपेक्षित लॉगिन पासवर्ड सृजित करें।
- पासवर्ड सृजित हो जाने के पश्चात पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

चरण 2 – लॉगिन करें

- अपने वेब ब्राउज़र में <http://apps.uppc.in/online/> खोलें तथा संबंधित फील्डों में पंजीकृत मोबाइल नंबर व पासवर्ड भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

यदि उपयोक्ता पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड भूल गए? लिंक पर क्लिक करें तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर को ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें। तत्पश्चात, पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर नया पासवर्ड प्रेषित हो जाएगा।

चरण 3 – फार्मासिस्ट के पंजीकरण हेतु आवेदन दर्ज करें

- लॉगिन के पश्चात उपयोक्ता को उनके संबंधित डैशबोर्ड पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध टैब पर क्लिक करें एवं इसके बाद फार्मासिस्ट के पंजीकरण हेतु आवेदन करें टैब पर क्लिक करें। तदोपरांत, प्रदर्शित हो रहे प्रश्न 'क्या आप पहले से ही उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य की फार्मैसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हैं?' का उत्तर हां अथवा नहीं में दें। यदि उत्तर नहीं है तो संबंधित सेक्शन में निम्न विवरण दर्ज करें:

- मूलभूत विवरण



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

- लिंग
- जन्मतिथि
- जन्म स्थल
- पिता का नाम
- पति का नाम
- धर्म
- जाति
- आधार नंबर
- राष्ट्रियता
- स्थायी पता
 - मकान नंबर
 - ग्राम/स्थान
 - पुलिस थाना का नाम
 - देश
 - राज्य
 - जनपद
 - पिन कोड
- पत्राचार पता

स्थायी पता के समान है के चेकबॉक्स का चयन करें यदि पत्राचार पता, स्थायी पता के समान है, अन्यथा संबंधित फील्डों में निम्न विवरण भरें:

- मकान नंबर
- ग्राम/स्थान



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

- पुलिस थाना का नाम
- देश
- राज्य
- जनपद
- पिन कोड

उक्त विवरण भरने के पश्चात दर्ज करें व आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। उपरोक्त को आवेदन के अगले भाग पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तदोपरांत, निम्न विवरण भरें:

○ शैक्षिक योग्यता का विवरण

- परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय का नाम
- विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का नाम
- पाठ्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष
- पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष
- यदि सीजीपीए था तो चयन करें
- अधिकतम अंक
- प्राप्त अंक
- सीजीपीए (यदि लागू था तो)

उक्त विवरण संबंधित फील्डों में दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा, डी फार्मा, बी फार्मा एवं एम फार्मा के लिए भरना होगा

○ प्राप्त अंतिम डिग्री का विवरण

- डिग्री का नाम
- अनुक्रमांक
- महाविद्यालय/संस्थान का पता



UTTAR PRADESH
PHARMACY COUNCIL
Established in 1956

- राज्य
- जनपद
- पिन कोड
- इंटरनेशिप का विवरण (यदि डी फार्मा डिग्री धारक हैं तो)
 - अस्पताल/संस्थान का नाम
 - पता
 - राज्य
 - जनपद
 - इंटरनेशिप अवधि (दिनांक से)
 - इंटरनेशिप अवधि (दिनांक तक)

उक्त विवरण भरने के पश्चात दर्ज करें व आगे बढें बटन पर क्लिक करें। उपयोक्ता को तदोपरांत आवेदन पत्र के अगले भाग पर हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात निम्न दस्तावेज अपलोड करें:

- दस्तावेज अपलोड करें
 - फोटोग्राफ (JPG/JPEG) 120 - 350 KB
 - हस्ताक्षर (JPG/JPEG) 50 - 120 KB

निम्न दस्तावेज PDF प्रारूप में होने चाहिए जिसके प्रत्येक का अधिकतम साइज़ 1 MB/1024 KB हो:

- दसवीं कक्षा का अंकपत्र
- दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र
- बारहवीं कक्षा का अंकपत्र
- बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र
- डी फार्मा का अंकपत्र



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

- डी फार्मा का प्रमाणपत्र
- बी फार्मा का अंकपत्र
- बी फार्मा का प्रमाणपत्र
- एम फार्मा का अंकपत्र
- एम फार्मा का प्रमाणपत्र
- इंटरनशिप प्रमाणपत्र
- उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाणपत्र (6 माह में निर्गत)
यदि आपने डी फार्मा/बी फार्मा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से किया है तो
- मान्य पहचान प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/निवास प्रमाणपत्र)
- शपथ-पत्र

उक्त दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात घोषणा के चेकबॉक्स का चयन करें एवं दर्ज करें व आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। तदोपरांत, उपयोक्ता को भरा गया विवरण का पूर्वावलोकन करने हेतु हस्तांतरित किया जाएगा। भरे गए विवरण में अपेक्षित संशोधन करें, यदि कोई है, एवं दर्ज करें व आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

यदि प्रश्न 'क्या आप पहले से ही उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य की फार्मैसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हैं?' का उत्तर हां है तो निम्न विवरण भरें:

- किस राज्य फार्मैसी काउंसिल के अधीन पंजीकृत हैं
- फार्मासिस्ट की पंजीकरण संख्या
- पंजीकरण की तिथि
- फार्मैसी अधिनियम की धारा जिसके अंतर्गत पंजीकृत हैं
- फार्मैसी का पता

उक्त विवरण भरने के पश्चात दर्ज करें व आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात, उक्त प्रश्न का उत्तर 'नहीं' देने पर जो आवेदन पत्र खुल रहा है वही आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में समस्त अपेक्षित जानकारी भरकर आगे बढ़ें।



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

चरण 4 - आवेदन शुल्क जमा करें

- विवरण दर्ज करने के उपरांत उपयोक्ता को ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु हस्तांतरित किया जाएगा। भुगतान करें बटन पर क्लिक करें तथा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से शुल्क जमा करें।

आवेदन पत्र में भरे गए विवरण को संशोधित करने हेतु आवेदन में संशोधन करें बटन पर क्लिक करें। शुल्क का भुगतान करने के पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी; अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर लें।

- शुल्क जमा होने के पश्चात आवेदन, काउंसिल के संबंधित अधिकारी को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा।

यदि काउंसिल द्वारा आवेदन में कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो आवेदक को अति शीघ्र उसका निराकरण करना होगा। निराकरण के पश्चात ही काउंसिल आवेदन पर आगे की कार्यवाही कर सकेंगे।

चरण 5 - अभिलेखीय परीक्षण

- शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदन काउंसिल को अभिलेखीय परीक्षण हेतु हस्तांतरित किया जाएगा।
- अभिलेखीय परीक्षण के पश्चात काउंसिल के लॉगिन से की गई कार्यवाही यथा आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा काउंसिल द्वारा दर्ज की गई आपत्ति की स्थिति एसएमएस, ईमेल व आवेदक के डैशबोर्ड के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।

आवेदक अपने डैशबोर्ड एवं फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखें सेक्शन के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

आवेदक को सभी आवश्यक चरणों पर एसएमएस व ईमेल अलर्ट प्राप्त होंगे।

अंतिम रूप से स्वीकृति के पश्चात काउंसिल द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा जिसे आवेदक अपने लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।



UTTAR PRADESH PHARMACY COUNCIL

Established in 1956

पासवर्ड बदलें

- पासवर्ड बदलने हेतु स्क्रीन के ऊपर दाहिनी ओर प्रदर्शित हो रहे यूज़र आइकन पर क्लिक करें एवं तदोपरांत **पासवर्ड बदलें** मेन्यू पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात, संबंधित फ़ील्डों में **वर्तमान पासवर्ड**, **नया पासवर्ड** एवं **नया पासवर्ड पुनः भरें** तथा **पासवर्ड बदलें** बटन पर क्लिक करें। पासवर्ड तदोपरांत बदल जाएगा एवं पैनल स्वतः लॉगआउट हो जाएगा। उपयोक्ता अपने नए पासवर्ड से लॉगिन करे सकेंगे।